प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 17.02.2026

मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा पाक्सों एक्ट के एक दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित"-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के कुशल निर्देशन में जनपद में महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित किए जाने हेतु चलाए जा रहे #Operation Conviction अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सोनभद्र श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में उच्च गुणवत्ता की निष्पक्ष एवं सशक्त विवेचना संपादित की गई तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, साथ ही कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन अधिकारी एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल के समन्वित एवं सतत प्रयासों से न्यायालय के समक्ष ठोस एवं प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से पॉक्सों एक्ट के प्रकरण में 01 आरोपी को मा0 न्यायालय ASJ/SPL/पॉक्सो, सोनभद्र द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:-

थाना:- चोपन, जनपद सोनभद्र।

मु0अ0सं0:- 77/2022

धाराएं:- धारा 377 भादवि0, 5M/6 पॉक्सों एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट।

आरोपी:- 01. विजय उर्फ टीपू साहनी पुत्र बाले साहनी निवासी कुरुहुल थाना चोपन जनपद *सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दी गई सजा का विवरण:-

धारा:- 377 भादवि0 में-

- अभियुक्त को अपराध कारित करने हेतु 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 15,000/- रुपये का अर्थदण्ड (अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास)

धारा:- 5M/6 पॉक्सों एक्ट में-

- अभियुक्त को अपराध कारित करने हेतु 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20,000/- रुपये का अर्थदण्ड (अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास)

धारा:- 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में- अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

यह निर्णय न केवल पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि समाज में यह सशक्त संदेश भी स्थापित करता है कि महिला एवं बाल अपराधों में संलिप्त किसी भी अभियुक्त को कानून के शिकंजे से बचने नहीं दिया जाएगा।